हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

सप्तम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 55

शुक्रवार, 5 दिसम्बर, 2014/14 अग्रहायण,1936 (शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में विधान सभा भवन,तपोवन, धर्मशाला में आरम्भ हुई ।

11.01.00 A.M.

सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस सत्र में भाग लेने के लिए सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने हेतु माननीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की।

(तत्पश्चात राष्ट्रीय गान की धुन बजाई गई)

11.04.00 A.M.

1. शोकोद्गारः

श्री दिले राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर निम्नलिखित ने अपने शोकोद्गार व्यक्त किए तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की :-

1. श्री वीरभद्र सिंह, माननीय मुख्य मंत्री
2. श्री गुलाब सिंह ठाकुर

3. श्री कौल सिंह ठाकुर, मा0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
4. श्री जय राम ठाकुर
5. श्री विनोद कुमार
6. श्री महेश्वर सिंह
7. श्री बृज बिहारी लाल बुटेल, मा0 अध्यक्ष

(दिवंगत आत्मा की शांति के लिए सदन में कुछ क्षण खड़े होकर मौन रखा गया)

11.30.30 A.M.

व्यवस्था का प्रश्नः

श्री सुरेश भारद्वाज, ने शिमला के तारादेवी में कटे 477 पेड़ों एवं जाखू नामक स्थान पर जलाए गए 30 पेड़ों के संबंध में नियम-67 के अंतर्गत दिए गए स्थगन प्रस्ताव को उठाया और सदन की आज की कार्यवाही को स्थगित करने का आग्रह किया। श्री रविन्द्र सिंह रवि ने इसका समर्थन किया। इस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अध्यक्षपीठ से प्रार्थना की कि अवैध कटान पर आज सदन में नियम-130 के अंतर्गत चर्चा की जानी है, इसलिए इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं बनता।

इस पर मा0 अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी कि " विपक्ष द्वारा दिए गए स्थगन प्रस्ताव को सरकार को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु प्रेषित कर दिया गया है और अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि इस विषय पर सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए F.I.R. भी दर्ज की है। वैसे भी आज इस विषय पर नियम-130 के अंतर्गत चर्चा निर्धारित है, अतः इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।"

(इसी दौरान विपक्ष के सभी सदस्य स्थगन प्रस्ताव की अनुमति न दिए जाने के विरोध में अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाते रहे)

11.45.40 A.M.

2. प्रश्नोत्तरः

(1) **तारांकित प्रश्नः**

स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या 1282 मा0 अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर संबंधित सदस्य ने नहीं पूछा, अतः यह प्रश्न कार्यवाही का अंग नहीं बना।

तारांकित प्रश्न संख्या 1303 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए।

(11-53-00 बजे पूर्वाह्न विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया)

तारांकित प्रश्न संख्या 1304 से 1322 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा सभा पटल पर रखे समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्नः**

स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्याः 364,620,640 तथा 643 से 645 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

12.00.01 P.M.

3. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे सदन को अवगत करवाया।

12.00.20 P.M.

4. सभा पटल पर रखे गए कागज़ातः

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना

संख्याः टी0एस0एम0-ए(3)-1/2008-III दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 31.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री सुजान सिंह पठानिया, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा-48(4)के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2012-13 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री ठाकुर सिंह भरमौरी, वन मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग,मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याः-फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 08.05.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 16.05.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(4) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1994 की धारा-255 की उपधारा(1) के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के लेखों अवधि 04/2011 से 03/2013 तक का वार्षिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी ।

(5) **श्री धनी राम शांडिल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 19 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13 की प्रति सभा पटल पर रखी।

<u>12.01.15 P.M.</u>

5. **<u>अध्यादेश</u>ः**

(1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 14.8.2014 को प्रख्यापित, अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 3) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी ।

(2) **श्री कौल सिंह ठाकुर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 01.10.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस(संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 6) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी ।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.9.2014 को प्रख्यापित, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (2014 का अध्यादेश संख्यांक 5) की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखी।

12.04.52 P.M.

6. <u>सदन की समिति के प्रतिवेदन :</u>

श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (**वर्ष 2014-15**) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी :-

(i) समिति का **21वां मूल प्रतिवेदन** (2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4.8 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 22वां मूल प्रतिवेदन (2014-15) जोकि भारत के नियन्त्रण एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2007-08(वाणिज्यिक) के पैरा संख्याः 4.9 के स्वयंमेव उत्तरों की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद** से सम्बन्धित है ।

12.05.00 P.M.

7. <u>नियम समिति का प्रतिवेदन :</u>

श्री जगत सिंह नेगी, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति(2014-15) (बारहवीं विधान सभा) ने समिति के प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

12.14.35 P.M.

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :

श्री रविन्द्र सिंह ने नियम 130 के अंतर्गत निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"प्रदेश में निजी भूमि एवं वनों में हो रहे अत्यधिक अवैध कटान पर यह सदन विचार करे ।"

(12.38.00 बजे अपराह्न मा0 उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्रीमती आशा कुमारी
2. श्री महेश्वर सिंह

   (01.01.20 बजे अपराहन मा0 अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

3. मा0 मुख्य मंत्री ने चर्चा के दौरान हस्तक्षेप किया तथा विस्तार से कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया

सदन की बैठक 1.20 बजे अपराहन दोपहर के भोजन के लिए 2.15 बजे अपराहन तक स्थगित हुई।

02.19.20 बजे अपराहन सदन की बैठक पुनः आरंभ हुई तथा नियम-130 की चर्चा जारी रही।

4 श्री सुरेश भारद्वाज
5. श्री किशोरी लाल
6. श्री रणधीर शर्मा
7. श्री नन्द लाल, मुख्य संसदीय सचिव
8. श्री हंस राज
9. श्री बम्बर ठाकुर

माननीय वन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री रविन्द्र सिंह ने हस्तक्षेप किया। तत्पश्चात 03.41.17 बजे अपराहन विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

माननीय वन मंत्री ने उत्तर समाप्त किया।

03.42.25 बजे अपराहन सदन की बैठक शनिवार, दिनांक 6 दिसम्बर,2014 के पूर्वाहन 11.00 बजे तक स्थगित हुई।

तपोवन, धर्मशाला-176215
दिनांकः 5 दिसम्बर,2014

सुन्दर सिंह वर्मा
सचिव